№ 016533

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 37.   वर्ष 2011-12.

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि "पेंगुइन एडुकेशनल सोसाईटी"
मु०- आदित्यपुर, चाणक्यपुरी मुहल्ला, पो०- उमानगर,
जिला- मुजफ्फरपुर, पिन कोड- ८४२००४ (बिहार)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख तेरह मास अप्रैल वर्ष दो हजार ग्यारह पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

संस्था निबंधन अधिनियम-21,1860 के अधीन निबंधन विभाग मात्र संस्था का निबंधन करता है। निबंधन को संस्था के वास्तव में कार्यरत होने या ना होने का प्रमाण या वित्तीय सहायता के प्रयोजन हेतु अनुशंसा नहीं माना जाए

13/4/2011

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

बि० स० मु० (निबन्धन), 1 —II—10,000—8-5-2010—

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

11 MAR 2011

B 854779

14560
12/3/11

वसीम अहमद खाँ
स्टाम्प भेन्डर
रजिस्ट्री ऑफिस, हाजीपुर (वैशाली)
ला० सं०-7/2002-2003

आम–सभा का प्रस्ताव

आज दिनांक 05.01.2011 को " **पेंगिवन एडुकेशनल सोसाइटी** " की आम सभा की बैठक अध्यक्ष श्री जयवीर नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गये ।

प्रस्ताव संख्या–1

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि " **पेंगिवन एडुकेशनल सोसाइटी** " का निबंधन, संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधित करा लिया जाय ।

प्रस्ताव संख्या–2

साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि संस्था के निबंधन कराने का भार सचिव श्रीमती आशा मिश्रा को सौंपा जाय ।

ह0/– अध्यक्ष

....

प्रमाणित किया जाता है कि यह आम–सभा के प्रस्ताव की सच्ची प्रति है ।

Jaivirnath Mishra
अध्यक्ष

आशा मिश्रा
सचिव

" पेंग्विन एडुकेशनल सोसाइटी "

का

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम :– **" पेंग्विन एडुकेशनल सोसाइटी "**

2. निबंधित कार्यालय :– इस संस्था का निबंधित कार्यालय– मुहल्ला– आहियापुर , चाणक्यपुरी मुहल्ला, पो0– उमानगर, जिला– मुजफ्फरपुर पिन कोड– 842004 (बिहार) में रहेगा । आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्त्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को दे दी जायेगी ।

3. कार्यक्षेत्र :– इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा ।

4. उद्देश्य :– इस संस्था के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे :–

1. संस्था द्वारा समाज के दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, आदिवासियों, असहाय महिलाओं अनाथों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना ।
2. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, सिंचाई के उपयुक्त साधन, जलछाजन, जलसंचयन, आदि उपलब्ध कराना । औषधीय पौधों एवं नगदी पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना ।
3. संस्था द्वारा जैविक खाद, मशरूम की खेती एवं औषधिय खेती के संरक्षण, शोध एवं सम्बर्द्धन हेतु कार्य संचालित करना ।
4. शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकणकला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स एवं अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना ।
5. शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करेगी तथा आवासीय विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, पठन–पाठन कक्ष, छात्रावास, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यालय, मुक एवं बधिर विकलांग विद्यालय का संचालन करना तथा गरीब असहाय, विकलांग, अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को हर संभव आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने में मदद करना
6. संस्था द्वारा कम्प्यूटर से संबंधित विभिन्न स्तर के व्यवसायिक पाठ्क्रमों का संचालन, हार्ड वेयर, साफटवेयर, इन्टरनेट आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना ।

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/ पति का नाम, पता, पेशा पद एवं स्वहस्ताक्षरित फोटो नीचे दिया गया है । वर्त्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौपा गया है ।

क्र0	नाम, पिता/ पति का नाम	पता	पेशा	पद	स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो
1	2	3	4	5	6
1	श्री जयवीर नाथ मिश्रा पिता–श्री कपिलदेव मिश्रा	म.सं. – 46 गॉव– आहियापुर डाकघर– भीखनपुर जिला– मुजफ्फरपुर ।	समाज सेवा	अध्यक्ष	
2	श्रीमती आशा मिश्रा पति–श्री मुकुल कुमार	ग्राम– आहियापुर चाणक्यपुरी मुहल्ला पो0– उमानगर जिला– मुजफ्फरपुर ।	समाज सेवा	सचिव	
3	श्री नवीन कुमार मिश्र पिता–श्री सीताराम मिश्र	म.सं. – 15 गॉव– बेदौलिया डाकघर– कीणवाजितपुर जिला– समस्तीपुर ।	समाज सेवा	कोषाध्यक्ष	
4	श्रीमती नीलम मिश्र पति–श्री उमाशंकर मिश्र	म.सं.–62 मोहल्ला– बनारस बैंक चौक मुजफ्फरपुर । जिला– मुजफ्फरपुर ।	समाज सेवा	सदस्य	

1	2	3	4	5	6
5	श्री अमरेन्द्र कुमार पिता–श्री मदन प्रसाद	मु0+पो0– ब्रह्मपुरा जिला– मुजफ्फरपुर ।	समाज सेवा	सदस्य	
6	श्री अरूण कुमार मिश्र पिता–श्री रामनाथ मिश्र	गॉव/शहर– बघारी अंचल– रून्नीसैदपुर जिला– सीतामढ़ी	समाज सेवा	सदस्य	
7	श्री मोहन राम पिता–श्री गोपी चन्द्र राम	ग्राम+पो0– रघुनाथपुर थाना– पारू जिला– मुजफ्फरपुर ।	समाज सेवा	सदस्य	

आशा मिश्रा

6. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/ पति का नाम, पता, पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है, वर्त्तमान के स्मृति -पत्र के अनुसार संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन के आंकांक्षी है ।

क्र0	नाम, पिता/ पति का नाम	पता	पेशा	फोटो	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1	श्री जयवीर नाथ मिश्रा पिता-श्री कपिलदेव मिश्रा	म.सं.- 46 गॉव- आहियापुर डाकघर- भीखनपुर जिला- मुजफ्फरपुर ।	समाज सेवा		Jaivirnath Mishra
2	श्रीमती आशा मिश्रा पति-श्री मुकुल कुमार	ग्राम- आहियापुर चाणक्यपुरी मुहल्ला पो0- उभानगर जिला- मुजफ्फरपुर ।	समाज सेवा		आशा मिश्रा
3	श्री नवीन कुमार मिश्र पिता-श्री सीताराम मिश्र	म.सं.- 15 गॉव- बेदौलिया डाकघर- कीणवाजितपुर जिला- समस्तीपुर ।	समाज सेवा		Navin Kumar Mishra
4	श्रीमती नीलम मिश्र पति-श्री उमाशंकर मिश्र	म.सं.-62 मोहल्ला- बनारस बैंक चौक मुजफ्फरपुर । जिला- मुजफ्फरपुर ।	समाज सेवा		नीलम मिश्र

आशा मिश्रा

1	2	3	4	5	6
5	श्री अमरेन्द्र कुमार पिता–श्री मदन प्रसाद	मु0+पो0– ब्रह्मपुरा जिला– मुजफ्फरपुर ।	समाज सेवा		अमरेन्द्र कुमार
6	श्री अरूण कुमार मिश्र पिता–श्री रामनाथ मिश्र	गॉव/शहर– बघारी अंचल– रून्नीसैदपुर जिला– सीतामढ़ी	समाज सेवा		अरूण कुमार मिश्र
7	श्री मोहन राम पिता–श्री गोपी चन्द्र राम	ग्राम+पो0– रघुनाथपुर थाना– पारू जिला– मुजफ्फरपुर ।	समाज सेवा		मोहनराम

....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त क्रमांक– 01 से लेकर 07 तक के सभी व्यक्तियों ने मेरे सामने हस्ताक्षर किए है, जिन्हें मैं जानता एवं पहचानता हूँ ।

हस्ताक्षर :

नाम :

मुहर :

ATTESTED

A N Ambastha
Reg No -6031/04
Notary, Patna

7. समाज के सभी वर्गों के गरीब लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना । परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर, स्वास्थ्य शिविर आदि का संचालन करना । असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी0बी0 कालाजार हेपटाईटिस आदि से बचने हेतु अवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा, एम्बुलेंश सेवा, चलन्त चिकित्सा उपलब्ध कराना तथा ।

8. संस्था द्वारा लोगों के स्वास्थ्य रक्षा हेतु आयुर्वैदिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोपैथिक चिकित्सा के द्वारा अधिक से अधिक मदद पहुँचाना तथा विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण करना ।

9. बाल-श्रमिक, महिला श्रमिक एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना । उनके लिए शिक्षा एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना । विकलांगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यक्रमों का संचालन करना ।

10. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना । सौर उर्जा, प्राकृतिक उर्जा का प्रचार-प्रसार करना । ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना । लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय, यातायात के नियमों का प्रचार-प्रसार करना ।

11. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कशीदाकारी, पेन्टिंग, गुड़िया निर्माण एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण सौन्दर्य एवं प्रसाधन आदि की जानकारी देना ।

12. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, बालबाड़ी, आगनबाड़ी स्वयं सहायता समूह, पालनागृह, पौष्टिक आहार केन्द्र का संचालन करना ।

13. निःसहाय महिलाओं एवं पूरूषों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्यपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, पशुपालन डेयरी उद्योग फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनने में मदद करना ।

14. अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं के लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना । उनके लिए कल्याणकारी कार्यों का सम्पादन करना ।

15. आकस्मिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड आदि में राहत कार्यक्रमों का संचालन करना । राहत कार्यों में सहयोग करना ।

16. समाज में व्याप्त कुरितियाँ जैंसे बाल-विवाह, दहेज प्रथा, नाशाखोरी, आदि की रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना । आदर्श विवाह, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना ।

17. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना । पत्र-पत्रिकाओं का वितरण एवं संग्रह करना । नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना ।

18. संस्था द्वारा वन्य जीव, पशु-पक्षी एवं लावारिश पशु के सरंक्षण हेतु प्रयास करेंगी ।

19. देश की एकता, अखण्डता, आपसी सद्भावना कार्यक्रमों का संचालन करना । उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, मानवाधिकार आदि की जानकारी देना एवं जागरूक करना ।

आशा मिश्रा

" पेंग्विन एडुकेशनल सोसाइटी "

की

नियमावली

1. **संस्था का नाम** :- **" पेंग्विन एडुकेशनल सोसाइटी "**
2. **परिभाषा**

क-	संस्था से अभिप्राय है	:-	**" पेंग्विन एडुकेशनल सोसाइटी "**
ख-	समिति से अभिप्राय है	:-	संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
ग-	पदाधिकारी से अभिप्राय है	:-	अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
घ-	वर्ष से अभिप्राय है	:-	01लीं अप्रील से 31 मार्च तक ।
ड-	एक्ट से अभिप्राय है	:-	सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 21, 1860

3. **सदस्यता**

कोई भी महिला एवं पुरूष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक के होंगे तथा जो संस्था के उद्देश्य एवं नियमों का पालन करेंगे, संस्था का सदस्य बन सकते है । सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जाएगी । संस्था के प्रत्येक सदस्य को 25/- रू0 प्रवेश शुल्क एवं 121/- रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

4. **सदस्यता से विमुक्ति :-**

निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी ।

क- स्वयं त्याग पत्र देने पर ।
ख- पागल या मृत्यु होने पर ।
ग- न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।
घ- सदस्यता शुल्क लगातार तीन वर्ष तक नहीं देने पर ।
ड- लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर ।
च- समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।

5. **कार्यकारिणी समिति का गठन :-**

क- कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित 07 (सात) सदस्य होंगे ।
ख- कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा किया जाएगा ।
ग- कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पॉच वर्षो की होगी । निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते है ।
घ- अगर समिति में कोई पद रिक्त होगा तो शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य की मनोनित कर सकती है किन्तु वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुनाव करा लेना होगा । चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे ।

6. **पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :-**

अध्यक्ष

क- संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

ख- कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग- किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।

घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

सचिव

क- संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

ख- संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

ग- पंजियों एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

घ- आय-व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना ।

ड- संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना ।

च- कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

छ- कार्यकारिणी समिति के राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना ।

ज- आवश्यकतानुसार अपने पास 1000/- रू0 तक रखना और विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर कार्य करना ।

झ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष

क- संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना ।

ख- संस्था के सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, दान, चन्दा आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

ग- संस्था के कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

7. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-**

क- संस्था के चल एवं अचल सम्पति के उत्तरदायी होगा ।

ख- संस्था के सभी कार्यो का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।

ग- शाखा एवं उपशाखा का गठन करना ।

घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

8. **आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-**

क- समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

ख- संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना ।

ग- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

घ- अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

9. **बैठक :-**

क- कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी ।

ख- आमसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी ।

ग- कार्यकारिणी समिति एवं आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

10. **बैठक की सूचना :-**

क- आम सभा के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ख- आम सभा की विशेष बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ग- कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाएगी ।

घ- कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ड- बैठक की सूचना, सूचना पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जाएगी ।

11. **प्रार्थित बैठक**

दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर सचिव को एक माह के अन्दर बैठक बुलाना होगा । यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते है तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन पत्र में लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते है ।

12.. **कोरम (गणपूर्ति)**

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्कता नहीं होगी ।

13. **आय का श्रोत :-**

क- सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।

ख- सरकारी, गैर सरकारी, दान, अनुदान, सहायता ।

14. **निधि का अंकेक्षण :-**

क- संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जाएगा ।

ख- निबंधन महानिरीक्षक अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है । जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

15. **कोष का संचालन :-**

संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

16. **पंजी का निरीक्षण :-**

संस्था का सभी पंजियॉ निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।

17. **नियमावली में संशोधन :-**

नियमावली में संशोधन आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।

18. **कानूनी कार्रवाई –**

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति के सलाह से की जायेगी ।

19. **विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पति की व्यवस्था :-**

क– संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 1860 के धारा– 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

ख– आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा ।

ग– विघटन के उपरान्त जो चल एवं अचल सम्पति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा की सहमति से समान उद्देश्य वाली संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

....

प्रमाणित किया जाता है कि यह **नियमावली की सच्ची प्रति है** ।

Jaivirnath Mishra | Navin Kumar Mishra | आशा मिश्रा
अध्यक्ष | कोषाध्यक्ष | सचिव

स्मृति-पत्र तथा नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि।
निबंधित

13/4/2011